भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2854

जिसका उत्तर 05.12.2019 को दिया जाना है

निजी कंपनियों द्वारा टोल प्लाजा का परिचालन

2854. श्रीमती संध्या रायः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नौ वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग तीन पर सेन्या, मुरैना, मेहरा पर संबंधित निजी कंपनी किन मुख्य निबंधन और शर्तों के अंतर्गत टोल प्लाजा का परिचालन कर रही है;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि ये कंपनियां कर तो एकत्र करती हैं लेकिन अपनी सेवाओं के परिचालन में नियमों का पालन नहीं करती हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कर्मचारी इस संबंध में समुचित और उपयुक्त कार्रवाई नहीं करते हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): जजऊ (सेन्या), चौधा (मुरैना) और मेहरा पर टोल प्लाजा दिनांकित 28.10.2014 प्रचालन-अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) निविदा करार, के अतर्गत रियायतग्राही मेसर्स अग्रा-ग्वालियर पैथवेज़ प्राईवेट लिमिटड द्वारा संचालित किया जा रहा है।

(ख) से (घ): जी, नहीं। निविदा करार के निबंधन एवं शर्त के अनुसार रियायतग्राही प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण कर रहा है।

*****